IV 79/2019

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

वरिष्ठ कोषाधिकारी 26 DEC 2019 गाजीपुर

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FD 806171

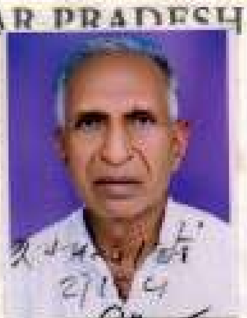

राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान

कनौली, पोस्ट –बासूपुर, परगना व तहसील –सैदपुर, जिला– गाजीपुर उ०प्र०

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक – ***31/12/2019*** को सैदपुर गाजीपुर मे **मूलचन्द सिंह यादव पुत्र स्व० निठुरी यादव** ग्राम व पोस्ट– **ढोलीपुर**, परगना व तहसील – सैदपुर जिला – गाजीपुर उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/ संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/ संस्थापक के पास 5000/–(पाँच हजार रूपये) की राशि है जिसे वह पुण्यार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/ संस्थापक उक्त राशि की अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के रूप मे कार्य करेगा। क्योंकि यह ट्रस्ट **राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्टी का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतो से दान, उपकार, ऋण आदि सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनो को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो मे प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता ने अपनी इच्छा के अनुसार

मूलचन्द सिंह यादव

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

वरिष्ठ कोषाधिकारी
रु. 100
26 DEC 2019
गाजीपुर

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

FD 806172

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5000/-(पांच हजार रुपये) की नगद धन राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान मे इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय मौजा – **कनौली** पोस्ट – **बासूपुर** परगना व तहसील– **सैदपुर**, जिला – **गाजीपुर** उ0प्र0 होगा प्रशासनिक कार्यालय मौजा – **कनौली** पोस्ट – **बासूपुर** परगना व तहसील– **सैदपुर** जिला – **गाजीपुर** उ0प्र0 अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय का समयानुसार समय– समय पर उचित स्थान स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है–

राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अर्न्तगत कार्यरत ट्रस्ट) **उद्देश्य एवं नियमावली**

ट्रस्ट के उद्देश्य :– ट्रस्ट नियम उद्देश्यो की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, विश्वविद्यालय, विधि महाविद्यालय, महाविद्यालय, मदरसा एवं मकतब, शिक्षा संकाय, अंग्रेजी शिक्षण संस्थान, संस्कृत शिक्षण संस्थान शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं पुस्तकालयों, वाचनायलयों, प्रयोगशालाओ, चिकित्सालयों, अनाथालयों वृद्धाश्रमो, गौशालाओ, अनुसंधान केन्द्रो, छात्रावासो, कम्प्यूटर केन्द्रो, हास्पिटल, एम्बुलेन्स, सर्वेक्षण केन्द्रो, सामुदायिक विकास केन्द्रो पर्यावरण एड्स उत्थान केन्द्रो की स्थापना करना, एवं नामकरण, विकास सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्धन, संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यक्ता होने पर विभिन्न परिषदो, विभागो, प्रतिष्ठानों, स्थानो, शासन आदि से तान्य सम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकता है।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

वरिष्ठ कोषाधिकारी 26 DEC 2019 गाजीपुर

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FD 806173

3. कौशल विकास योजना का संचालन करना।
4. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओ का संचालन करना।
5. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण करना।
6. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
7. योग दिवस पर योगा कार्यक्रम संचालित करना।
8. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
9. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
10. कृषि, संगीत सम्बन्धी आदि विषयो की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थपना करना।
11. केन्द्र सरकार के सभी विभागो, मानव संसाधन, समाज कल्याण बोर्ड, नाबार्ड, कपार्ट, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद, युवा कल्याण, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यकम का संचालन करना।
12. बालक एवं बालिकाओ के शैक्षिक विकास के लिए नर्सरी, प्लेग्रुप, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालय, आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, डी0एल0एड0, बी0एल0एड0, पालिटेक्निक कालेज, बी0फार्मा0, एम0फार्मा0 बी0टी0सी0 बी0पी0एड0, बी0एड0, बी0काम0, एम0काम0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, योगा ट्रेनिंग कालेज, आपरेशन, टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजो एवं इन्जीनियरिंग कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना।
13. समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, कालेज शिपिंग कम्पनी समुद्री प्रशिक्षन संस्थान से सम्बन्धित कोर्सो की स्थापना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

वरिष्ठ कोषाधिकारी
26 DEC 2019
गाजीपुर

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FD 806174

14. समाज के लोगो के लिये हास्टल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर, किराना की दुकान, रेस्टोरेन्ट – होटल, फोटोस्टेट, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
15. पुस्तकालय, वाचनालय पत्र/पत्रिकाओ, समाचार – पत्रो इत्यादि का प्रकाशन एवं मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
16. शारीरिक रूप से अन्धे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगो के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
17. विभिन्न विषयो एवं पाठ्यक्रमो तथा व्यवहारिक प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, औद्योगिक शिक्षा, ग्रामोद्योगिक शिक्षण–प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रोफशनल/हार्डवेयर/साफ्टवेयर की शिक्षण संस्था आदि विषयो का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
18. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओ, परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर-स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओ की व्यवस्था करना।
19. पुस्तको, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमो आदि का सृजन करना, सम्पदा प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
20. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं-बैठकें विशेष कक्षायें, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
21. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था करना।
22. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयो, महाविद्यालयो, विधि महाविद्यालयो, मेडिकल कालेजो, इन्जिनियरिंग कालेजो को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
23. ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनो, संस्थाओ, व्यक्तियो से सहयोग प्राप्त कर सकना /प्रदान कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
26 DEC 2019
गाजीपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 527839

24. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
25. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
26. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उनका प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
27. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
28. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार एवं प्रसार कर सकना एवं स्वच्छता के विषय में जन जागरण करने हेतु प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
29. पुस्तक, पुस्तिकायें, पत्र/पत्रिकायें, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित,बिक्री,कर सकना।
30. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/मूल्य/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
31. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
32. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरणीय सुधार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषय पर चेतना जागृत करने हेतु कार्यकर सकना।
33. धार्मिक स्थलो मस्जिद, मदरसा एवं कब्रिस्तानो का निर्माण व जिर्णोधार कर सकना।
34. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
35. विभिन्न आयोजनो एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तिय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
36. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयो, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इन्जिनियरिंग कालेजो टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानो के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।
37. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा मे वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
38. ट्रस्ट जन सामान्य के लिए अद्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवायें/ वस्तुओं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित मे सडक खण्डजा, तालाबो, का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन, आदि का प्रचार कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
26 DEC 2019
गाजीपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 527840

39. ट्रस्ट केवल वितिय लाभ के लिये ही नही कार्य करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।
40. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
41. किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजो की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात एवं निर्यात करना।
42. किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लीनिक का निर्मान करना एवं खाद, कीटनाशक दवा एवं बीज के स्टोर का निर्माण करना।
43. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिये जिला, प्रदेश एवं देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
44. दलित/ पिछड़ो/ अल्पसंख्यको का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयो को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत करना।
45. धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना।
46. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये हास्टल का निर्माण करना।
47. ट्रस्ट ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूगर्भ ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि सभी ऊर्जा के प्रयोग प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आयोजित करना।
48. विभिन्न प्रकार-खेल कूद के कार्यक्रमो को संचालित करना।

49. ट्रस्ट समाज में व्याप्त बुराई जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक विषमता, छुआ-छुत इत्यादि कार्यक्रम संचालित करना/कराना व सहयोग की अपेक्षा करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

16 DEC 2019

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 527841

प्रारम्भिक उपबन्ध:-

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनाक से **मूलचन्द सिंह यादव** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी, अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी जब चाहे वह पंजीकरण करके अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष यदि उचित समझौता बिषयो पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमे कि अधिकतम 9 (नौ) सदस्य होगें। जो निम्नवत है।

क्र0सं0 नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद
1. मूलचन्द सिंह यादव पुत्र स्व0 निटुरी यादव	ग्राम व पोस्ट होलीपुर गाजीपुर	अध्यक्ष/प्रबन्धक/ट्रस्टी
2. उदयनाथ यादव पुत्र स्व0 लालचन्द यादव	ग्राम व पोस्ट होलीपुर गाजीपुर	उपाध्यक्ष
3. निर्मला यादव पत्नी पोंचू सिंह यादव	ग्राम व पोस्ट होलीपुर गाजीपुर	सचिव
4. पूजा यादव पत्नी अशोक कुमार यादव	ग्राम व पोस्ट होलीपुर गाजीपुर	उपसचिव
5. सुमन यादव पत्नी अजीत सिंह यादव	ग्राम व पोस्ट होलीपुर गाजीपुर	कोषाध्यक्ष
6. राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 राममूरत यादव	ग्राम व पोस्ट बडसरा गाजीपुर	सदस्य
7. कु0 रीतू यादव पुत्री अमरनाथ यादव	ग्राम व पोस्ट होलीपुर गाजीपुर	सदस्य
8. कु0 किरन यादव पुत्री सूर्यनाथ यादव	ग्राम व पोस्ट होलीपुर गाजीपुर	सदस्य
9. अजय यादव पुत्र विजय प्रताप यादव	ग्राम व पोस्ट होलीपुर गाजीपुर	सदस्य

मूलचन्द सिंह यादव

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

वरिष्ठ कोषाधिकारी
26 DEC 2018
मिर्जापुर

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 527842

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही बिषयों पर बिचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को माना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। उस सन्दर्भ मे मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

6. एक न्यासी निम्न परिस्थितियों मे अपने पद से हटाया जा सकता है–

- क. स्वतः पद त्याग पर
- ख. दिवालिया होने पर
- ग. एक सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित होने पर
- घ. यदि वह सक्षम न्यायालय से किसी अनैतिक अपराध मे दण्डित हो जाता है।
- ड. न्यासी की मृत्यु हो जाने पर उसका पद उसके जगह पर जब तक नया व्यक्ति नियुक्त नहीं हो जाये रिक्त

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
26 DEC 2019
गाजीपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CA 527843

मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधायें :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा विभिन्न सुविधाओ से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओ के स्तर को सुनिश्चित करने मे मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का निर्णय की अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी / अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/ भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगाना है तो ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नही होगा।

कार्य क्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा। समाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय मे हस्तक्षेप कर निरस्त/ स्वीकृत/ अस्वीकृत संसोधित कर दे मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो की सभी सम्बन्धित पदो को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रू.20

Rs.20

वरिष्ठ कोषाधिकारी

03 DEC 2018

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AA 526663

सचिव/ उपसचिवो की नियुक्ति :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवो की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव /उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधायें,कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जावेगें।
3. यह कि उक्त सचिव/ उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक पर्याप्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारन बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियो के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/ अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पदो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरित/ प्रदान कर सकता है।

उपाध्यक्ष कि नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने के लिये एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षो की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/ उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, सुविधाये कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जावेगें।
3. यह कि उपाध्यक्ष/ उपाध्यक्षो, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी समय किसी को कोई कारण बताए उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियो के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदो से हटा सकता है

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 20

वरिष्ठ कोषाधिकारी

03 DEC 2019

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 526664

तथा इन पदो पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदो के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानानतरित कर सकता है।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

यह कि ट्रस्ट के डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यो के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे–

क – बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक बुलाना एवं उनकी अध्यक्षता करना।

ख – ट्रस्ट के सभी कार्यो का उत्तरदायी ढ्ग से देख–रेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव की नियुक्ति करना।

ग – इस ट्रस्ट डीड मे उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यो एवं नियमावली मे संशोधन / परिर्वतन कर सकना जो कि रजिस्टार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष/ट्रस्टी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषयो पर विचार –विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टी को बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

सचिव के समस्त कार्यो के लिये ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

1– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना है।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रू.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AA 526665

वरिष्ठ कोषाधिकारी
03 DEC 2019
गाजीपुर

2– ट्रस्ट के अर्न्तगत होने वाले सभी क्रियाकलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण करना।

3– ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित कार्य हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक/ प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

4– विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गोष्ठी/ विभागों/ केन्द्रों/ संस्थाओं/ उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजक/ निर्देशकों/ पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम / उपनियम बना सकना।

5– ट्रस्ट / संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णायक नियुक्त कर सकना।

6– एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उसका कार्य विभाजन कर सकना।

7– प्रचार/ प्रसार/ मुद्रण/ प्रकाशन/ वितरण/ विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8– जन सामान्य के कल्यार्णाथ विभिन्न आयोजन कर सकना।

<u>उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–</u>

1. सचिव की अनुपस्थिति में उसके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके अधिकारों/ कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/ कर्तव्यों का पालन करना।

<u>बैंक एकाउण्ट करना :–</u>

धर्मनाथ सिंह यादव

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

03 DEC 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AA 526666

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक मे खोला जा सकेगा, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष स्वयं अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अर्न्तगत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान/ केन्द्र/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति मे स्वयं ट्रस्टी के अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अर्न्तगत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

विधिक कार्यवाही :–

यदि संस्था/ ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव/ अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयो मे पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है। ट्रस्ट को आगे बढाने के लिए धारा 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अर्न्तगत किसी भी व्यक्ति से चंदा/दान देने वाला कर/टैक्स मुक्त रहेगा।

सम्पत्ति सम्बन्धी :–

1– ट्रस्टी चल/ अचल सम्पति के सम्बन्ध मे वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है। तथा वह यह अधिकार रखते है कि वह इस सम्पत्ति को दान दे सकते है तथा जिसमे किसी के सहमति की आवश्यक्ता नही है।

2– ट्रस्ट की ओर से चल/ अचल सम्पति के सम्बन्ध मे ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने /लेख–विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3– ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/ अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई भी लेख– विलेख बनाने एवं निर्णय

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
03 DEC 2019
गाजीपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AA 526667

करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4– ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति दान ले सकता है दान दे सकता है रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है।

5– ट्रस्ट किसी से ऋण, दान ,उपहार, आग्रह भेंट, सम्मान, पुरस्कार स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6– ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/ सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7– चल/ अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति , भाड़ा क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भरित गिरवी, विभाजन आदि कर सकता है/ ले सकता है, दे सकता है।

विशेष :– क) – इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/ कार्यरत किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय/ कार्यक्रम/ ईकाई/ कार्यालय/ संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/ उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु वह इस डीड आफ ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम /उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

ख) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी स्कूल एजुकेशनल नई दिल्ली /काउन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ग) संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारिया को अनुमान्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिया जायेगा।

घ) कर्मचारियो की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उ0मा0वि0 के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी 03 DEC 2019 गाजीपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 526650

निवृत्तीक लाभ उपलब्ध करायें।

ड़.) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

च) – अध्यक्ष/ ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/ किन्ही परिस्थितियों मे इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानो के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध मे अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कही भी किसी भी न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकेगी। **राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान** उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित **राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान** के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार मे लाने हेतु निम्न साक्षियो की उपस्थिति मे हस्ताक्षर कर दिये गये।

साक्षीगण–

1. नाम– राहुल यादव पुत्र स्व0 हरी लाल यादव
   राहुल यादव
   पता– ग्राम व पोस्ट मढ़ी जिला जौनपुर

(मूलचन्द सिंह यादव)
मूलचन्द सिंह यादव
(संस्थापक / अध्यक्ष)

राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान

नाम– धनंजय सिंह यादव पुत्र शिवपूजन सिंह यादव
धनंजय सिंह यादव
पता– ग्राम मीरपुर तिरवाह पोस्ट देवचन्दपुर परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर

मसविदाकर्ता
31-12-2019

नं० 11603 मूल्य 201 दिनांक 30-12-19
शामिल नं० 11589 के साथ बेचा

रवी कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता
उपनिबंधक कार्यालय
सैदपुर—गाजीपुर
ला० नं०—28

आवेदन सं०: 201900988008119

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 47 के पृष्ठ 163 से 192 तक क्रमांक 79 पर दिनाँक 31/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी। अनिल कुमार तिवारी
उप निबंधक : सैदपुर
गाजीपुर
31/12/2019

प्रिंट करें